



प्रेस नोट 01- दिनांक 21.11.2023

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

• **शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लूट के 11320/- रु0 व 02 किलोग्राम चरस बरामद**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा शातिर लुटैरे को कब्जे से लूटे गये 11,320/- रु0 व 02 किलोग्राम चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 21.10.2023 को श्रीमती ममता शुक्ला स्व0 अशोक कुमार शुक्ला नि0 हसेवा थाना हसनगंज जनपद उन्नाव द्वारा थाना हसनगंज पर तहरीरी सूचना दी गई कि प्रार्थनी दिनांक 21.10.2023 को दोपहर जन सेवा केन्द्र, मेहन्दी खेडा तथा आर्यावर्त बैंक हसनगंज मे 52000 रु0 निकाल कर अपने घर ई0 रिक्शा से अपने गाँव हसेवाँ तक गयी थी उसके बाद ई0 रिक्शा कृष्णा नन्द की दफती फैक्ट्री के पीछे हसेवाँ गाँव की तरफ से समय करीब 2 बजे दोपहर दो ब्यक्ति मोटर साइकिल से मेरे बराबर आये और मेरा बैग जिसमे मेरे कुल 55000 रु0 तथा अस्पताल से सम्बन्धित कागजात तथा मोबाइल था, छीन कर मोटर साइकिल से दोनो व्यक्ति भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हसनगंज पर मु0अ0सं0- 334/23 धारा 392 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 21.11.2023 को प्र0नि0 श्री राजेश्वर त्रिपाठी मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त इरशाद अली पुत्र इम्तियाज अली नि0 मुस्तफाबाद थाना हसनगंज जनपद उन्नाव को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 02 कि0ग्रा0 चरस मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित लूट के 11320/रु0 बरामद किया गया है। चरस बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-459/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानो में अब तक कुल-20 मुकदमे पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

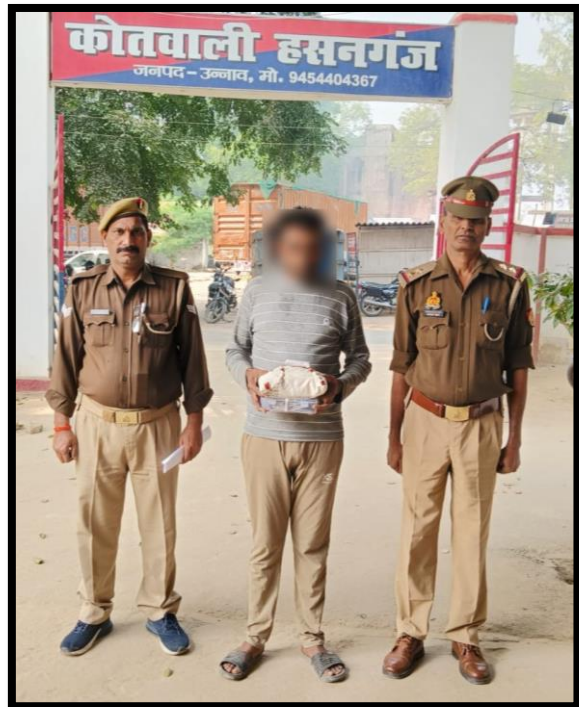
1. इरशाद अली पुत्र इम्तियाज अली नि0 मुस्तफाबाद थाना हसनगंज जनपद उन्नाव

अभि० इरशाद अली का आपराधिक इतिहास

- 1-मु०अ०सं०-129/15 धारा 392,411 भादवि० थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 2-मु०अ०सं०-164/15 धारा 323,504,506 भादवि० व 3(1)SC/ST ACT थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 3-मु०अ०सं०-195/15 धारा 307 भादवि० पु०मु० थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 4-मु०अ०सं०-197/15 धारा 3/25 A Act थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 5-मु०अ०सं०-241/15 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 6-मु०अ०सं०-381/15 धारा 3/4 गुण्डा अधि० थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 7-मु०अ०सं०-78/15 धारा 392,411 भादवि थाना मौरावा उन्नाव ।
- 8-मु०अ०सं०-240/15 धारा 392,411 भादवि थाना माखी उन्नाव ।
- 9-मु०अ०सं०-140/15 धारा 392 आईपीसी थाना माखी उन्नाव ।
- 10-मु०अ०सं०-157/15 धारा 392,411 भादवि थाना सफीपुर उन्नाव ।
- 11-मु०अ०सं०-666/17 धारा 380/411/457 थाना एफ-84 उन्नाव ।
- 12-मु०अ०सं०-429/16 धारा 394,411 भादवि० थाना पारा लखनऊ
- 13-मु०अ०सं०-117/16 धारा 13 G Act थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 14-मु०अ०सं०-118/17 धारा 60 Ex Act थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 15-मु०अ०सं०-504/17 धारा 380 आईपीसी थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 16-मु०अ०सं०-111/20 धारा 201/302/34 आईपीसी थाना माखी उन्नाव ।
- 17-मु०अ०सं०-167/20 धारा 2/3 यू०पी० गैग्रेस्टर एक्ट थाना माखी उन्नाव ।
- 18-मु०अ०सं०-328/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना दही उन्नाव ।
- 19-मु०अ०सं०-334/23 धारा 392/411 आईपीसी थाना हसनगंज उन्नाव ।
- 20- मु०अ०सं०-359/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना हसनगंज उन्नाव ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र०नि० श्री राजेश्वर त्रिपाठी
- 2-उ०नि० श्री बेचन यादव
- 3- हे०का० राजेश राय
- 4-हे०का० सहीम खान
- 5-का० जितेन्द्र सिंह





प्रेस नोट 02- दिनांक 21.11.2023

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

● अवैध कंटेनर में 26 गोवंश बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा एक अदद कंटेनर UP 22AT4489 में कुल 26 गौवंश बरामद किये गये।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 20/21.11.23 को थाना हसनगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर UP 22AT4489 को फरहदपुर गांव के आगे रोड पर पकड़ा गया जिसके चालक व परिचालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। कंटेनर से 22 बैल व 4 गाय बरामद किये गये, जिन्हे ग्राम पंचायत मौलाबाकीपुर स्थित गौशाला में सुपुर्द करते हुए थाना स्थानीय पर उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 260/23 धारा 3/5/8 गो0वध नि0अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम उक्त कंटेनर के मालिक/ चालक व दो अन्य अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण – एक अदद कंटेनर UP 22AT4489 जिसमें 22 बैल व 4 गाय कुल 26 गौवंश अवैध रूप से लदे हुए बरामद हुए।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री राजेश्वर त्रिपाठी थाना हसनगंज उन्नाव।
- 2-उ0नि0 श्री दीपक सिंह थाना हसनगंज उन्नाव।
- 3- का0 मुकेश कुमार थाना हसनगंज उन्नाव।
- 4-का0 प्रशान्त यादव थाना हसनगंज उन्नाव।
- 5-का0 जितेन्द्र नादर थाना हसनगंज उन्नाव।
- 6-का0 गौरव कुमार थाना अजगैन, उन्नाव।
- 7-का0 दीपक गिरी थाना अजगैन, उन्नाव।



प्रेस नोट 03- दिनांक 21.11.2023

थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव ।

• लूट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा लूट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.10.2023 को थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 578/23 धारा 41/411 भा०दं०वि० बनाम प्रमोद पाल पुत्र प्रकाश पाल नि० गोकुल बाबा मंदिर के पास थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव व सचिन गौतम उर्फ लल्लू रैदास पुत्र किशन रैदास नि० मसवासी थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया था तथा दोनों अभियुक्तों गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 भा०दं०वि० की वृद्धि की गई तथा आज दिनांक 21.11.2023 को उ०नि० श्री राजीव कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अमन सिंह बाला उर्फ शिवम सिंह बाला उर्फ शिवा ठाकुर पुत्र स्व० शिव बहादुर सिंह निवासी मसवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष को ग्राम मसवासी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण – अमन सिंह बाला उर्फ शिवम सिंह बाला उर्फ शिवा ठाकुर पुत्र स्व० शिव बहादुर सिंह निवासी मसवासी मगरवारा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० राजीव कुमार
2. हे०का० राघवेन्द्र अग्निहोत्री
3. का० प्रवीण कुमार

